कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला नारायणपुर (छ.ग.)

email Id-landrecordnarayanpur@gmail.com

/ /प्रेस विज्ञप्ति/ /

क्रमांक / 722 /भू.अ. / भर्ती / 2023–24 नारायणपुर दिनांक 01/06/2023

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 13–1 / 2023 / आ.प्र. / 1–3 नवा रायपुर, दिनांक 03.05.2023 एवं छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 4–04 / 2023 / सात–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यालय कलेक्टर, (भू–अभिलेख शाखा) जिला नारायणपुर में तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड–03 एवं पटवारी के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा किये जाने हेतु निर्धारित योग्यता धारक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर, (भू–अभिलेख शाखा) जिला नारायणपुर के पते में **दिनांक 21 जून 2023, सायं 05:00 बजे** तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन कार्यालय में उपस्थित होकर भी जमा किये जा सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

विज्ञापन की विस्तृत विवरण जिले के वेबसाईट **www.narayanpur.gov.in** में अपलोड एवं जिला कार्यालय नारायणपुर के सूचना पटल पर भी उपलब्ध है।

कलेक्टर
जिला नारायणपुर

पृ0क्र. / 723 /भू.अ. / भर्ती / 2023–24 नारायणपुर दिनांक 01/06/2023

प्रतलिपि :–

1. सहायक संचालक,जिला जनसम्पर्क कार्यालय,नारायणपुर जिला नारायणपुर को स्थानीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,एन0आई0सी को जिले के वेबसाइट में अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
जिला नारायणपुर

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) जिला नारायणपुर (छ.ग.)

email Id-landrecordnarayanpur@gmail.com

//रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन//

क्रमांक/ 724/भू.अ./भर्ती/2023–24 नारायणपुर दिनांक 01/ 06/2023

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 13–1/2023/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर, दिनांक 03.05.2023 एवं छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 4–04/2023/सात–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09.05.2023 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यालय कलेक्टर, (भू–अभिलेख शाखा) जिला नारायणपुर में तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड–03 एवं पटवारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती हेतु आवेदन **दिनांक 21 जून 2023, सायं 05:00 बजे तक** पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन कार्यालय में उपस्थित होकर भी जमा किये जा सकेंगे। पदों का विवरण नीचे तालिका में दर्शित हैः–

क्र.	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में महिलाओं हेतु आरक्षित पद				अजजा. वर्ग के कुल रिक्तियों में से विशेष पिछड़ी जनजाति समूह हेतु आरक्षित पद	भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद	कुल रिक्तियों में से निःशक्त जनों हेतु आरक्षित पद	योग	वेतनमान
		अजा.	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा.	अजजा	अपिव	अनारक्षित		अजजा			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सहायक ग्रेड–03	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	**01**	वेतन मैट्रिक्स लेवल–04
2	पटवारी	0	05	0	01	0	01	0	0	01	0	0	**06**	वेतन मैट्रिक्स लेवल–06
	योगः–	**0**	**05**	**0**	**02**	**0**	**01**	**0**	**0**	**01**	**0**	**0**	**07**	

रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है।

सहायक ग्रेड–03 पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता –

1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र।
3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा गति होना चाहिए।
4. मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।

पटवारी पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता –

1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) प्रणाली में हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।
2. शासकीय/अर्ध्दशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर अर्हता होना चाहिये। **(कम्प्यूटर अर्हता हेतु छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–9–4/2015/1/3 दिनांक 23.01.2015 में वर्णित पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र मान्य होंगे।)**
3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 01 वर्षीय/प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति।

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो पटवारी पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित होंगे, उन्हें उक्त कम्प्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु एक वर्ष की छूट की पात्रता होगी।

नियम एवं शर्तें :–

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
2. यह विज्ञापन विभागीय भर्ती नियमों के अध्यधीन होगी।
3. उपरोक्त विज्ञापित पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा उक्त संबंध में पारित आदेशों के अध्यधीन होगी।
4. **स्थानीय निवासीः–** छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र आवेदन के दौरान प्रस्तुत करना होगा।
5. **परिवीक्षा अवधिः–**चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।

   (क) चयनित अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में छ0ग0शासन, **वित्त विभाग के वित्त निर्देश 21/2020** के अनुसार निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा।

   प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
   द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
   तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

   परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होगा।

   (ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।
6. **आवश्यक दस्तावेजः–** अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, प्रमाण पत्र, अंकसूची, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र (स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) निवास प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर अर्हता का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के समय प्रस्तुत करना होगा। समस्त दस्तावेज की स्व–प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ एवं मूल दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण अनुसार आयु सत्यापन हेतु शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र/अंक सूची संलग्न करना अनिवार्य है।
7. **आयु सीमाः–** दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिये। **छ0ग0शासन, समान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 अटल नगर, रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयुसीमा (35 वर्ष) में 05 की छूट देय होगी।** अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार के छूट सहित अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **(दिव्यांगजन** उम्मीदवार को 3 वर्ष

की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी परन्तु यह छूट 45 वर्ष की आयु सीमा तक ही सीमित होगा।)

उच्चतर आयु सीमा में छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गए निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी। यदि उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है, तो संबंधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

8. आरक्षित वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) के सभी अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
9. एक से अधिक रिक्त पदों के भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
10. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकाएं।
11. किसी विवाहित महिला उम्मीदवारों द्वारा अपने नाम/उपनाम में परिवर्तन किया गया हो, तो परिवर्तन संबंधी दस्तावेज/शपथ पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। मूल दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा।
12. अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।
13. अपूर्ण अस्पष्ट तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के संबंध में पृथक से कोई सूचना जारी नहीं की जावेगी एवं ऐसे समस्त आवेदन अमान्य कर दिये जावेंगे।
14. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम एवं आवेदक का वर्ग एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।
15. प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र एवं अपात्र पाये गये आवेदकों की सूची (अनुपयुक्तता का कारण दर्शाते हुए) जिले के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in में अपलोड किया जायेगा। आवेदकों की प्रवेश पत्र वेबसाईट पर अपलोड किये जाने की सूचना तथा कौशल परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना उम्मीदवारों को स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से दी जावेगी। आवेदक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे– आधार कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/स्माट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों सहित कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप से कौशल परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।
16. छ.ग.शासन समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपरु के अधिसूचना क्रमांक एफ–1–21/2014/सक/26 दिनांक 25 सितंबर 2014 के प्रावधानानुसार तृतीय श्रेणी में निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के लिये चिन्हांकित किये गये पदों की सूची के सरल क्रमांक 148 में 'पटवारी' पद को चुनौतीपूर्ण एवं मैदानी कार्य होने के कारण निःशक्तता अमान्य किये जाने के कारण विज्ञापित पदों हेतु दिव्यांग (निःशक्तजन) पात्र नहीं होंगे।
17. पटवारी चयन पूर्णतः अस्थायी है, अतएव चयन की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरांत उनकी नियुक्ति 03 वर्ष क परीवीक्षा अवधि पर की जावेगी।
18. पटवारी पद के लिए पुनरीक्षित वेतनमान दर्शाया गया है तथा निर्धारित वेतनमान में शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते देय होंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के चयन उपरांत एक वर्ष का विभागीय कार्यों का प्रशिक्षण एवं उसके पश्चात् ली

19. शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी दिशा–निर्देशों एवं छत्तीसगढ़ भू–अभिलेख, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2014 में पटवारी पद पर चयन हेतु उल्लेखित शर्तों की पूर्ति की जाने पर ही नियुक्त की पात्रता होगी।

20. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

21. **चयन प्रकियाः–**

(क) सहायक ग्रेड–03

(i) 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। कौशल परीक्षा कुल 75 अंक की होगी। जिसमें M.S. Word-25 अंक M.S.excel-25 अंक, M.S.Power Point-25 अंक होंगे। हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग के संबंध में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा गति निर्धारण हेतु ली गई परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा गति नहीं होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी। अंतिम चयन केवल कौशल परीक्षा में प्राप्तांक तथा कम्प्यूटर टायपिंग में सफल होने के आधार पर किया जायेगा।

(ख) पटवारी

(i) **परीक्षा पद्धति** :– 12वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा–2023 के लिए लिखित परीक्षा ली जावेगी तथा संबंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित 100 अंकों के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे। बहुवैकल्पिक परीक्षा में भारत एवं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा सामान्य गणित के प्रश्न पूछे जायेंगे। अंतिम चयन केवल परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर किया जावेगा।

(ii) **मूल्यांकन पद्धति** :– प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे। उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर (–) ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जायेंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिए शून्य (zero) अंक प्रदान किये जायेंगे।

(iii) **चयन प्रक्रिया** :– पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा–2023 के लिखित परीक्षा उपरांत प्राप्त अंको के आधार पर आवेदकों की प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। प्रावीण्य सूची के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन किया जावेगा। सत्यापन पश्चात् पात्र पाये जाने पर नियोक्ता द्वारा चयन की कार्यवाही की जावेगी।

22. विज्ञापन/आवेदन का प्रारूप कार्यालय कलेक्टर के सूचना फलक पर एवं नारायणपुर जिले के वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

23. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लेवें विज्ञापन में दिये गये निर्देशों/नियमों, शर्तो को पूरा करने पर ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें। आवेदक सावधानी पूर्वक जानकारी आवेदन में अंकित करें, आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके लिये नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होगा।

24. दस्तावेजों की कमी को प्रथम दावा–आपत्ति के अंतिम तिथि तक पूरा किया जा सकेगा।

25. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।

26. लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

27. शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी दक्षता की अंकसूची/प्रमाण पत्र (निवास/जाति) एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना होगा।

28. चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र नियुक्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

29. आवेदित किये गये विवरण को पूरी तरह से जांच कर लेंवे। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

30. **अनर्हताः–** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगीः–

(I) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पति जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(II) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा। जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

(III)कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(IV)कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

31. आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हे परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता हैं या नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

32. **प्रतीक्षा सूचीः–** प्रतीक्षा सूची घोषित परीक्षा परिणाम दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध होगी।

33. अभ्यर्थी के चयन उपरांत यदि उनके द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य/मिथ्या पायी जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

34. विज्ञापित पदों पर भर्ती हेतु भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन व विविध प्रवर्गों – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित व जारी किए गए आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट संबंधी निर्देशों, नियमों व शर्तों का पालन किया जाएगा।

35. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की वाद पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

कलेक्टर
जिला नारायणपुर

पृ0 क्र./ 725 /भू.अ./भर्ती/2023

प्रतिलिपि :–

नारायणपुर, दिनांक 01/06 2023

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक छ.ग. शासन जनसम्पर्क विभाग नवा रायपुर अटल नगर को विज्ञापन प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
4. संचालक, संचालनालय, सैनिक कल्याण, छ0ग0 रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. आयुक्त भू अभिलेख इन्द्रावती भवन प्रथम तल ब्लाक 02 अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
8. सर्व कार्यालय प्रमुख को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
9. प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, जिला कार्यालय नारायणपुर को सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
10. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, नारायणपुर की ओर सूचनार्थ । कृपया जिले के वेबसाईट में विज्ञापन अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
11. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) नारायणपुर/ओरछा, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
12. सर्व कार्यालय तहसीलदार नारायणपुर/ओरछा/छोटेडोंगर/कोहकामेटा, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
13. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, नारायणपुर की ओर समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
14. जिला रोजगार कार्यालय, जिला नारायणपुर को सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
15. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नारायणपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।।
16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नारायणपुर/ओरछा, जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
17. जिला सैनिक कल्याण बोर्ड जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
18. कार्यालय प्रति।

कलेक्टर

जिला नारायणपुर

सहायक ग्रेड–03/पटवारी
आवेदन पत्र का प्रारुप

प्रति ,

कलेक्टर
भू अभिलेख शाखा
जिला – नारायणपुर

नवीनतम पासपोर्ट फोटो स्वंय द्वारा प्रमाणित

1. आवेदित पद का नाम :– ....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :– ....

आवेदक का पूरा नाम (अंग्रजी कैपिटल लेटर में) :– ....

3. पिता/पति का नाम :– ....

4. (अ) जन्मतिथि (अंको में) :– ....

5. (ब) शब्दों में :–..

6. दिनांक 01.01.2023 को आयु (10वीं अंकसूची के अनुसार) :– वर्ष .... माह ....दिन ....

7. जन्म स्थान :– ग्राम /नगर ....तहसील ....

जिला ....

8. (अ) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :–..

....

....

.... पिन ....

(ब) स्थायी पता :–..

....

....

.... पिन ....

9. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है? :–..
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वंय सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10 क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. राज्य के लिये घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें) :– ....

11 क्या आवेदक विकलांग है?(हां/नहीं) :–..

(यदि हां तो विकलांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

12 विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत :- ....

13 क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है?
हां/नहीं(यदि हां,तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें) :- ....

14 क्या आवेदक विवाहित है? हां/नही :- ....

15 यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि :- ....

16 जीवित बच्चों की संख्या एवं जन्मतिथि :- ....

शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्रमांक	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि.का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिषत
1	2	3	4	5	6	7

17 क्या आवेदक शासकीय/अर्ध्दषासकीय संस्थान में सेवारत हैं? :- ....
हां/नहीं (यदि हां,तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें) :- ....
वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण यदि हो तो , अनुभव का विवरण। :- ....

18 क्या आवेदक/आवेदिका के विरुध्द कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है? हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रुप से उल्लेख करें। :- ....

19 संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....
12. ....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम ....

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पायी जाती है,तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरुध्द वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम ....